राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा(ग्रुप–5)विभाग

क्रमांक:प.12(6)शिक्षा–5 / 2014 जयपुर, दिनांक: 26-6-15

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषयः निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्व में लाटरी से वंचित गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2015–16 में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए संशोधित टाइम फ्रेम।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि राज्य सरकार के पत्र कमांक कमांक:प.12(6)शिक्षा–5 / 2014 जयपुर, दिनांक:16.02.2015 के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत गैर–सरकारी शिक्षण संस्थाओ में सत्र 2015–16 में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित टाइम फ्रेम व राज्य सरकार के पत्र कमांक कमांक: प.12(6)शिक्षा–5 / 2014 जयपुर, दिनांक:27.04.2015 के अनुसार दिनांक 27.03.2015 व 05.05.2015 को निःशुल्क सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन लॉटरी निकाली गयी थी। इन लाटरियों में सम्मिलित होने से वंचित रहे समस्त गैर–सरकारी विद्यालयों को निःशुल्क सीटों पर प्रवेश प्रकिया पूरी करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए टाइम फ्रेम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

क्र. सं.	विवरण / गतिविधि	**अप्रैल व मई से सत्रारम्भ करने वाले ऐसे विद्यालय जो दिनांक 27.03.2015 व 05.05.2015 की ऑन लॉटरियों में सम्मिलित नहीं हुए**	दायित्व निर्धारण
1	आवेदन पत्रों का वितरण	7 जुलाई तक	संबंधित निजी विद्यालय
2	आवेदन पत्र प्राप्ति	8 जुलाई तक	संबंधित निजी विद्यालय
3	आवेदन पत्रों की जांच एवं सही आवेदन पत्रों की विद्यालयों द्वारा वेब पोर्टल पर प्रविष्टि करना	9 जुलाई तक	संबंधित निजी विद्यालय
4	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना	9 जुलाई तक	संबंधित अभिभावक
5	ऑन लाईन लाटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता कम निर्धारण	10 जुलाई (अपरान्ह पश्चात्)	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
6	अभिभावकों द्वारा लॉटरी उपरान्त इच्छित विद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना।	14 जुलाई तक	संबंधित अभिभावक
7	बालकों का विद्यालय में प्रवेश	15 जुलाई से	संबंधित निजी विद्यालय
8	निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों की वेब पोर्टल पर एन्ट्री	31 जुलाई तक	संबंधित निजी विद्यालय

यह संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा। अतः इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों को पूर्वानुसार सूचित करावें तथा एनआईसी के माध्यम से आरटीई वेब पोर्टल पर आवश्यक संशोधन कराने का श्रम करें।

भवदीय
26/6/15
शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / प्रारं / आर.टी.ई / सी / निःशुल्क प्रवेश / 18878 / 15–16 / 60 दिनांकः– 29/6/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के समस्त उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालायों को पालनार्थ सूचित कराने का श्रम करावें।
4. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक एवं प्रोजेक्ट समन्वयक, एन.आई.सी. केन्द्र शासन सचिवालय, जयपुर को पत्र प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त आदेश पोर्टल पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
5. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा........................को प्रेषित कर लेख है कि मण्डल के अधीन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को उपरोक्तानुसार पालना करवाना सुनिश्चित करें।
6. जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा.शि.).....................को प्रेषित कर लेख है कि अधीनस्थ बीईईओ कार्यालयों से उपरोक्तानुसार पालना करवाना सुनिश्चित करें।

उप निदेशक(आरटीई)
प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
बीकानेर